राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प.5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांकः 01/03/2021

आदेश

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांगों के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता हैः-

1. **श्री बुलाकी दास कल्ला,** अध्यक्ष
मंत्री, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल एवं कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग

2. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव,** सदस्य
राज्य मंत्री, आयोजना (जनशक्ति) विभाग (स्वतंत्र प्रभार), स्टेट मोटर गैराज विभाग (स्वतंत्र प्रभार), भाषा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

3. **डॉ0 सुभाष गर्ग,** सदस्य
राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

उक्त समिति राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांगों के संबंध में आवश्यकतानुसार संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं अन्य संबंधित से विचार-विमर्श कर अपनी अभिशंषा प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक (क-5) विभाग होगा तथा इसके सदस्य-सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग होंगे।

उक्त आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 6(5)प्र.सु./अनु.-3/2021 दिनांक 23.02.2021 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

1/3/2021

(दिनेश कुमार यादव)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

1/3/2021

शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**
**प्रशासनिक सुधार विभाग**

क्रमांकः पं.6(5)प्र.सु./अनु.–3/2021 जयपुर दिनांकः 23.2.2021

**आदेश**

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा उठाई गई समस्याओं के संबंध में विचार–विमर्श कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं उनके निस्तारण के लिए सुझाव हेतु निम्नानुसार एक मंत्रीमण्डलीय समिति का गठन किया जाता हैः–

1 श्री बी.डी. कल्ला, मा. उर्जा मंत्री – अध्यक्ष
2 श्री राजेन्द्र यादव, मा. राज्य मंत्री स्टेट मोटर गैराज – सदस्य
3 श्री सुभाष गर्ग, मा. राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा – सदस्य
4 प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग – सदस्य सचिव

उक्त समिति राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक (क–5) होगा तथा समिति का कार्यकाल उपरोक्त विषय के निस्तारण होने तक होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23.2.2021
(डॉ. सुनीता पंकज)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2 विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय ..........................
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4 प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5 वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6 रक्षित पत्रावली।
7 ..............................................

23.2.2021
उप शासन सचिव